संख्या-3837 /1-10-2008-14(23)/2004 टीसी०

प्रेषक,

जी०के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 11 अगस्त, 2008

विषयः- नाव, मोटरबोट चालक एवं गोताखोर को पारिश्रमिक का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-3428/1-10- 2008-14(23)/2004, दिनांक 08 जुलाई,2008 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाढ़ की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए नाव, मोटरबोट चालक एवं गोताखोर की उपलब्धता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, इलाहाबाद, गोरखपुर व बहराइच तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय छोटे एवं मझोले नाव के नाविक को अधिकतम रू0 125/-,बडे नाव के नाविक को अधिकतम रू0 150/-, आवश्यकता के अनुरूप गोताखोर के लिए अधिकतम रू0 200/-प्रतिदिन पारिश्रमिक/मजदूरी तथा मोटरबोट चालक के रिक्त पद पर संविदा के आधार पर अधिकतम रू0 4500/-प्रतिमाह के दर से वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि में से करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

2 आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स के मद संख्या-23 "खोज एवं बचाव कार्यो में व्यय " के अन्तर्गत उक्त मद में व्यय होने वाली धनराशि मदवार मासिक व्यय-विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून,2005 के प्रारूप पर प्रदर्शित की जाय।

भवदीय,

(जी०के० टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

2/-

वी०के० सिंह, वेबसाईट से जारी

संख्या- 3837 (1)/1-10-2008-14(23)/2004-टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार लेखा प्रथम/आडिट उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. पुलिस महानिरीक्षक, पी0ए0सी0, मुख्यालय,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11/राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(लक्ष्मी नारायण)

अनु सचिव।